



**कार्यालय अधिशासी अभियन्ता  
प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग  
कर्णप्रयाग**

**Phone/Fax :- 01363-244204**

**E-mail :- eepdpwdkpg@gmail.com**

पत्रांक २७६४/ १०८८१-८०  
सेवा में,

दिनांक :- २७/९/२०१६

प्रभागीय वनाधिकारी  
बद्रीनाथ वनप्रभाग  
गोपेश्वर, (चमोली)

**विषय :-** थिरपाक – काण्डई मोटर मार्ग के कि.मी. 2 से चोपड़ाकोट तक मोटर मार्ग का निर्माण में भारत सरकार द्वारा लगाई गयी आपत्तियों के निराकरण के सम्बन्ध में।

**सन्दर्भ :-** आपका पत्रांक ८१३/१२-१ दिनांक २६.०८.२०१६।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के अनुपालन में भारत सरकार द्वारा लगायी गयी आपत्तियों का निराकरण किया गया जो निम्न प्रकार है:-


क्र. सं.	लगायी गयी आपत्तियाँ	आपत्तियों का निराकरण
1	2	3
1	In village wise breakup the total area of forest land is shown 1.977 ha instead of the area proposed for diversion i.e. 2.367 ha. The correct details in village wise breakup may be upload in online Part I.	पार्ट-१ के क्रम संख्या B-2.3 Village wise breakup में कुल 2.367 हे. का विवरण भर दिया गया है।
2	Proceedings of village level committee (VLC) meeting pertaining to all the villages shown in village wise breakup is not furnished though the VLC provided for only one village Choprakot. The State Govt. may do the necessary correction in the information provided in village wise break up and the VLC proceedings pertaining to all villages are involved in the diversion of forest land may also provided/uploaded in online Part I	उक्त सभी ग्राम एक ही ग्रामसभा चोपड़ाकोट के अन्तर्गत आते हैं। जिसका FRA certificate पूर्व से ही पार्ट-१ में संलग्न है।
3	The component wise break up dose not shows area marked for muck disposal in Part I.	पार्ट-१ के क्रम संख्या B-2.4 में Component wise breakup में Road Construction हेतु 1.977 हे. और Muck Disposal हेतु 0.390 हे. अलग-अलग विवरण भर दिया गया है।
4	The state Govt. has provided/uploaded the scanned copy of GIS software generated geo referenced digital map in Google earth map which is not acceptable. The State Govt. may provide/upload the correct map showing geo coordinates at 200 to 300 m interval along the alignment including all turning points on exact to the scale and ensure the uploading of correct revised map in online Part I	वनभूमि हस्तान्तरण से सम्बन्धित geo-referenced digital map में coordinates regular interval 200m to 300m में दर्शाते हुये संशोधित map पार्ट-१ के क्रम संख्या C (iv) में अपलोड कर दिया गया है। (संलग्नक-१ पेज 3)
5	The Geo reference digital map of area proposed for CA uploaded is not acceptable for the purpose as provided in Google earth map. The State Govt. may provide/upload GIS software generated geo reference digital map of the area proposed for CA providing Geo coordinates at all corner points in shape (polygon/closed area) file.	क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण से सम्बन्धित geo-referenced digital map में coordinates All corner points में दर्शाते हुये पार्ट-१ के क्रम संख्या L (v) में अपलोड कर दिया गया है। (संलग्नक-२ पेज 4)


6	The administration and financial sanction for the road is for 4 km and one bridge. The State Govt. may clarify that the proposal involves construction of bridge or not. If not, then may also clarify the reasons.	वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में 4 किमी। एवं 1 सेतु को सम्मिलित किया गया है। सेतु को KML file में भी दर्शाया गया है। जो कि पार्ट-। के क्रम संख्या L (iv) के c में अपलोड कर दिया गया है।
7	The FRA certificate is undated.	FRA Certificate संशोधित कर अपलोड कर दी गयी है। (संलग्नक-3 पेज 5 से 10)
8	The CA scheme uploaded in part II is for the area of 3.954 ha instead of 4.734 ha. The State Govt. may provide revised CA scheme if required.	वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में CA हेतु 4.734 हे. भूमि ली गयी है। अतः उक्त आपत्ति का निराकरण डी.एफ.ओ. स्तर से किया जाना है।
9	There are two locations identified in forest area for muck dumping as per the information provided in the muck disposal plan in hard copy of the proposal but the details in not furnished in component wise break up therefore it is not clear that the area marked for muck dumping in forests is included in the area proposed for diversion or not. It required, revise the area after addition of this area marked for muck dumping in forest area and also made other necessary corrections in this regard in the proposal online part I and part II.	Muck Disposal Plan में forest area में 2 स्थानों पर Muck Dumping चिह्नित किया गया है। जिसमें पहला स्थान ग्राम तोलना तथा दूसरा स्थान ग्राम हीण कुल 0.390 हे. लिया गया है तथा पार्ट-। के क्रम संख्या B-2.4 में Component wise breakup में Muck Disposal हेतु 0.390 हे. का विवरण भर दिया गया है।

अतः उपरोक्त आपत्तियों का निराकरण कर सूचनार्थ प्रेषित।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार समस्त प्रपत्र।

  
 अधिशासी अभियन्ता  
 प्रान्तीय खण्ड लो.निवि.  
 कर्णप्रयाग 





Annexure-I

**FORM-I**  
(for Linear Projects)  
**Government of Uttarakhand**  
**Office of the District Collector, Chamoli**

No.

Dated : 26 / 03 / 2015

**TO WHOM SO EVER IT MAY CONCERN**

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FG (pt) dated 3<sup>rd</sup> August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidence for having initiated and completed the process of settlement of rights under the scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5<sup>th</sup> February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is a certified that 2.367 Hectares of forest land proposed to be diverted in favor of Public Works Department Uttarakhand for Construction of Motor road from thirpakkandai motor road km 02 to Choprakot, falls within jurisdiction of Choprakot Village in Chamoli Pahsil./Ghat Pahsil

It is further certified that :-

- (a) The Complete Process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 2.367 Hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee (s), Gram Sabha (s), Sub-Division Level committee (s) and the District Level Committee are enclosed as annexure 23, 23.1, 23.2 and 23. (A).
- (b) The diversion of forest land for facilities managed by the government as required under section 3 (2) of the FRA has been completed and the Gram Sabha (s) have given their consent to it,
- (c) The Proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl : As above

  
**A. Kumar (IAS)**  
District Magistrate  
Chamoli (Uttarakhand)  
**निलायिकारी**  
**चमोली**

## Annexure-I

**Office of the District Collector,  
District-Chamoli (Uttarakhand)**

**Proceeding of the meeting of the District Level Committee constituted under Schedule Tribes & Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Rights) Act )FRA), 2006**

A meeting of the District Level Committee of Chamoli District (Uttarakhnad), constitiruted under FRA 2006 was held under the chairmanship of Shri A.Kumar (IAS), District Magistrate, Chamoli (Uttarakhand) on 26.03.2015 At 13:00HRS at Chamoli in which the application claiming rights in Village Choprakot of Tehsil Chamoli area Measuring 2.367 Hectares for the Construction of Motor road from thirpak kandai motor road km 02 to Choprakot. of forest land under FRA, 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the Sub-Division Level Committee of Ghat / Chamoli Tehsil were discussed to consider the same for admission by the District Level Committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions no objection / claims were found to have been made and hence District Level Committee recommend the above case for diversion of the land for the said purpose.

  
**A.Kumar (IAS)**  
 District Magistrate –cum–  
 Chairman, District Level  
 Committee, Chamoli  
**निलाधिकारी**  
**चमोली**

## प्रपत्र-23.2

परियोजनाकानाम :- जनपद चमोली, विकास रवण घाट में माननीय मुख्यमंत्री सरकार संग्रह जन धैजना के इन्तर्गत छीरपाल - काण्डई मोटर मार्ग के किमी ००२ से चौणडाकोट तक मोटर मार्ग निर्माण काय कार्यालय उप जिलाधिकारी

अनुसूचित जन जाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत

## प्रमाण-पत्र


## उपखण्डस्तरीय समिति


उपखण्ड घाट परिक्षेत्र के अन्तर्गत छीरपाल - काण्डई मोटर मार्ग के किमी ०२ से चौणडाकोट तक मोटर मार्ग निर्माण हो आरक्षित वन भूमि ०.२४० हेक्टर सिविल एवं सौयम वनभूमि १.६९७ हेक्टर वनपंचायत भूमि, अर्थात कुल १.९३७ हेक्टर वनभूमि) का लौ०.५०० हेक्टर प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जन जाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्डस्तरीय समिति, (तहसील घाट/चमोली) की दिनांक २०-०३-२०१५ को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जन जाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्डस्तरीय वनअधिकार समिति की बैठक श्री अवधोश कुमार सिंह उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्डस्तरीय वनअधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।


1- श्री अवधोश कुमार सिंह  अध्यक्ष

2- श्री शिवाजी नवानुसन्धान उपप्रभागीय वनाधिकारी  सदस्य

3- श्री रमेश लाल सहायक समाज कल्याण अधिकारी  सदस्य / सचिव

4- श्री मनोज शुशील राठड वनाधिकार समीति सदस्य 

श्री महेश्वर नरेश जेवी वनाधिकार समीति सदस्य 

श्री मालदत्त चूर्णार्थी वनाधिकार समीति सदस्य 

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि अधिकारक लाइसेंस मोटर मार्ग के १३०.०२ रोड पैकेट तक मोटर मार्ग निर्माण कार्य परियोजना हेतु १.९७७ हेतु ०, वनभूमि लोन नियम प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्रामसभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्रामसभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्त्तन की अनुभांसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, पर्मोली द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वननिवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान का स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वनअधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्रामसभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरणमें उपखण्डस्तरीय वनअधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

२००२ रोड पर्मोली तक मोटर मार्ग परिक्षेत्र के अन्तर्गत अधिकारक लाइसेंस मोटर मार्ग के निर्माण हेतु २.३.६.७ हेतु वनभूमि लोन नियम प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्त्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उपजिलाधिकारी/अक्षयक्ष  
उपखण्डस्तरीय वनअधिकार समिति

तहसील—द्वाटा / पर्मोली

जनपद पर्मोली

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, पर्मोली को सूचनार्थ एवं आवभयक कार्यवाही हेतु।

उपजिलाधिकारी/अक्षयक्ष  
उपखण्डस्तरीय वनअधिकार समिति  
तहसील—द्वाटा / पर्मोली  
जनपद पर्मोली

## प्रपत्र-23.1

परियोजना का नाम :-

वनअधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम... चौपड़ाकोट  
तहसील द्धाट.....जिला... चमोलीअनापत्ति प्रमाण पत्र


उत्तराखण्ड में जनपद... चमोली अन्तर्गत... द्धाट पाल - का०५३६ मौद्रिक प्राप्ति के लिए ०.०२ रुपये चौपड़ाकोट मौद्रिक निर्माण परियोजना के निर्माण हेतु लागू हो आरक्षित वनभूमि, ०.२४० हेतु सिविल सोयमभूमि, ०.६१७ हेतु वनपंचायत भूमि अथवा कुल ०.१७७ हेतु वनभूमि का लौ०.११० विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वनमंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत चौपड़ाकोट द्वारा दिनांक १६-०३-१५ को सम्पन्न ग्रामसभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वनभूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वनभूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वनभूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्यनहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वनभूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्रामसभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम... चौपड़ाकोट के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि... लौ०.११० वि०. प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

वि० अ० *[Signature]*  
५०/-  
ग्रामसचिव  
५० चमोली



नोट :- \* यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।

उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

## प्रपत्र-23.1

दिनांक ।६.-०३.-१९ को ग्रामसभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्रामपंचायत चौपडीलोहा

क्रमांक	ग्रामसभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
(१)	रामप्रसाद	Ramprasad
(२)	भवानी शर्मा	
(३)	रमेशबाबू	Rameshbabu
(४)	कृष्णाराम	Krishnarao
(५)	नारपति कुमार	Narpati Kumar
(६)	चंद्रकला	Chandrakala
(७)	राजेश्वरी लाल	Rajeswari Lal
(८)	मासलाली हरी	Maslaalai Hari
(९)	चंद्रकला शर्मा	Chandrakala Sharma
(१०)	चित्रप्रताम	Chitravratam
(११)	जैस वर्मा	Jais Verma
(१२)	रामप्रसाद शर्मा	Ramprasad
(१३)	कृष्ण शर्मा	Krishna Sharma
(१४)	नरेश पंडा लैला	Nareesh Pandit Laila
(१५)	पंडा शर्मा //	Pandit Sharma //
(१६)	कृष्ण मुख्यमान	Krishna Mukhyaman
(१७)	मधुरा राम	Madhura Ram
(१८)	शुभ्रा राम	Subhra Ram
२०	सरोज	Saroj

ह०/-  
ग्रामप्रधान